संख्या-16/2018/422/सैंतीस-2-2018-1(3)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 फरवरी, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेशनल एनीमल्स डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.) (100 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-419/इपीडी./एन.ए.डी.आर.एस./2017-18, दिनांक-19.01.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0207-नेशनल एनीमल्स डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.) (100 प्रति.के.पो.) के निम्नलिखित मानक मदों में रू0-4.10 लाख (रूपये चार लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
08-कार्यालय व्यय	0.70
18-प्रकाशन	3.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40
योग-	**4.10**

(रूपये चार लाख दस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राप्त केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय करते समय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली, वित्त विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स), 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार संबंधित जनपदीय आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों में न किया जाय।

(7) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(8) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में उनका दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0207-नेशनल एनीमल्स डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.) (100 प्रति.के.पो.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-16/2018/422(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in